प्रार्थना पत्र सं 50 / 2019 अन्तर्गत धारा 53 Rt. Act

राजकुमार आदि बनाम गुगनराम आदि

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13/5/21	आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा तारीख आदेशानुसार दिनांक 1/7/21 को पेश हो। रीडर	
01.07.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित । तहसीलदार सूरजगढ के पत्र क्रमांक 909 दिनांक 08.09.2021 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये। अधिवक्ता पक्षकरान ने विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता पक्षकरान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावे को अंतिम डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई। न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके **ग्राम कासनी** स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 215 रकबा 8.37 है., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 345 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 210 रकबा 3.12 है., खसरा नम्बर 361 रकबा 1.16 है. का मुताबिक तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ''प्रदर्श अ–1 लगायत अ–6'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '' प्रदर्श अ–1 लगायत अ–6'' व नक्शा प्रदर्श '' ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई है तो सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ Signature Not Verified Digitally signed by Abhilasha Date: 2021.08.06 16:33:50 IST Reason: SelfAttested निर्णय आज डिक्री	